



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/32/2016/एफ0सी0 591

दिनांक : 14-11-17

सेवा में,  
विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0-85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम-निघौली खुर्द के खसरा संख्या- 999स/1 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2082/14-2-2016-800 (39)/2016, दिनांक- 23.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.04.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उ० प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. इस प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है कि नहीं ?
2. प्रस्ताव के मूल विषयों में कालंतर होने के कारण कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं ?
3. प्रकरण में प्रस्तुत किये गये अधिकतर दस्तावावेज/प्रमाण पत्र पर संबंधित अधिकारी के नाम एवं दिनांक अंकित नहीं किया गया है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा, उ० प्र०।
4. प्रभागीय प्रबन्धक, यू०पी० (वेस्ट), एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नौएडा, उ० प्र०।
5. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक {केन्द्रीय}